उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461
फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्रांकः–08रो / शा0 / 22–08रो / कोविड–19 / दिशा–निर्देश–वै0– । दिनांक 14 जनवरी, 2022

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या–70 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 10 जनवरी, 2022 के द्वारा कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं, के क्रम में परिवहन निगम में उक्त संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

कोविड–19 वायरस के नये वैरियंट–बी, 1.1.529 (ओमिक्रोन) के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही के निर्देश पत्र संख्या–221रो / शा0 / 21, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 एवं 246शा0 / रो / 21, दिनांक 29.12.2021 जारी किये गये हैं।

कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम में परिवहन निगम की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निगम के बस स्टेशन्स पर अधिक संख्या में यात्रियों का आवागमन निरन्तर बना रहता है। अतः कोविड–19 वायरस से बचाव हेतु बस स्टेशनों / कार्यालयों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना परिवहन निगम का दायित्व है, जिसके निर्वाहन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. बस स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार नियमित रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये, यदि किसी यात्री की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाये एवं यात्री यदि लक्षणात्मक है तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डिपो / बस अड्डों पर उपलब्ध मेडिकल टीम से उपरोक्तानुसार आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था करायें। अन्य यात्री जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते हैं उनका भी टेस्ट कराया जाये।

2. बस स्टेशन पर ऐसे बहुत से स्थान है, जहां जनसामान्य एकत्र होते है, जहां पर सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु बैठने वाले स्थान बेंच / कुर्सी पर दो व्यक्तियों के बीच में दूरी बनाये रखने के लिये खाली स्थान रखने के लिये उस पर **"क्रास का निशान"** अथवा **"यहां न बैंठे"** अंकित किया जाना है।

3. बस स्टेशन पर स्थापित ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टिंसिंग व हाथों की सफाई संबंधी संदेश का प्रसारण निरन्तर किया जाता रहे तथा विशेष रुप से सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिये संदेश का प्रसारण एनाउन्समेन्ट के माध्यम से किया जाये। बस स्टेशन पर तैनात कार्मिक यात्रियों को इस हेतु सचेत / जागरूक करते रहें।

4. इसी प्रकार बस में स्थापित साउण्ड बॉक्स के माध्यम से **कोविड–19** संक्रमण से बचाव हेतु मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग व हाथों की सफाई संबंधी संदेश का प्रसारण निरन्तर किया

अनुभाग अधिकारी

जाता रहे। विशेष रुप से बस के यात्रियों को मास्क पहनने संबंधी संदेश अवश्य प्रसारित किये जायें। परिचालक का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक यात्री को मास्क पहनने के लिये प्रेरित करें तथा यथा आवश्यकता सख्ती से भी कहें।

5. प्रवर्तन कार्मिक मार्ग चेकिंग के दौरान अनिवार्य रुप से बस यात्री मास्क पहने हैं अथवा नहीं, देखेंगे तथा किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर परिचालक के मार्ग पत्र में उल्लेख भी करेंगे।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा अपने परिक्षेत्र के बस स्टेशन्स का निरीक्षण कर, उपरोक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जायेगा। निगम मुख्यालय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यात्रा के दौरान निगम बस के चालक/परिचालक स्वयं भी मास्क धारण करेगें तथा यात्रियों को भी निरंतर मास्क पहनने के लिये प्रेरित करते रहेंगे।
7. निगम के समस्त कार्यालयों के कर्मचारी/अधिकारी मास्क अवश्य धारण करेंगे तथा समय-समय पर हैण्ड सैनिटाईजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे।

उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(आर0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय को शासन का पत्र संख्या-70/2022-सीएक्स-3, दिनांक 10 जनवरी, 2022 की प्रति संलग्न कर अनुपालनार्थ।
2. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।
4. श्री कैलाश राम, सहायक प्रबन्धक(संचा0) को उक्त विषयक नियमित रूप से फॉलोअप व सूचना संकलन कराने के निर्देश सहित।
5. गार्ड पत्रावली।

(आर0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक